

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



	5-1(33)/2008-PD	
Vo	0 1(00)/ 2000 12	

Dated_____09.06.2025

प्रेषक : स

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From:

Joint Secretary (Admn.)

सेवा में :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To

The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा

हेतु स्वीकार्यता के संबंध में।

Sub

Admissibility to travel by Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains

under Leave Travel Concession (LTC)-reg.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं 31011/3/2022-स्था.क-IV को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है I

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, Office Memorandum No. 31011/3/2022-PP.A-IV dated 14.01.2025 on the above mentioned subject for your kind information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

(कुमार राहुल / Kumar Rahul)

उप सचिव (नीति) / Deputy Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/ As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788 Website: http://www.csir.res.in

फा.सं. 31011/3/2022-स्था.क-IV भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक नीति प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: / पुजनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा हेतु स्वीकार्यता के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के अंतर्गत प्रीमियम/विशिष्ट ट्रेनों द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के संबंध में इस विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017-स्था.क-IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

- 2. इस विभाग को विभिन्न कार्यालयों/व्यक्तियों से छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी विभिन्न प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अनेक संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं।
- 3. इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार, एलटीसी के अंतर्गत मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा, अब तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:-

	प्रीमियम ट्रेनों (अर्थात् राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों) में एलटीसी के लिए यात्रा पात्रता	
	शताब्दी या इसी प्रकार की ट्रेनें	राजधानी टाइप या इसी प्रकार की ट्रेनें
		एसी प्रथम श्रेणी
स्तर 12 और उससे ऊपर	एक्जीक्यूटिव श्रेणी	
स्तर 6 से 11	चेयर कार	एसी द्वितीय श्रेणी
स्तर 5 और उससे नीचे	चेयर कार	एसी तृतीय श्रेणी

4. दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017-स्था.क-IV के अन्य निबंधन एवं शर्ते समान रहेंगी।

जारी....

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जी.के. रजनीश) उप सचिव, भारत सरकार दूरभाष सं. 2304 0341

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- 3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
- 4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
- 5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
- 6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
- 7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय।
- 8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

F.No. 31011/3/2022 - PP. A-IV Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (Pers. Policy Division)

North Block, New Delhi. Dated: 14th January, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Admissibility to travel by Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains under Leave Travel Concession (LTC)-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV dated 19.09.2017 regarding admissibility to travel by premium/specific trains under CCS(LTC) Rules, 1988.

- 2. This department has been receiving a number of references from different offices/individuals about the admissibility of various premium trains like Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains under Leave Travel Concession.
- 3. The matter has been examined by this Department in consultation with Department of Expenditure and it has been decided that apart from existing Rajdhani, Shatabdi and Duronto trains, travel by **Tejas Express**, **Vande Bharat Express & Humsafar Express** trains under LTC as per the entitlement of the Government employees, has now been allowed, as under:-

Pay Level in Pay Matrix (as per 7 th Central Pay Commission) of the Central Government employees	Trains (i.e. Rajdhan	i, Shatabdi, Duronto, Vande
	Shatabdi or Similar type trains	Rajdhani Type or Similar type trains
Level 12 and above	Executive Class	AC 1st Class
Level 6 to 11	Chair Car	AC 2 nd Class
Level 5 and below	Chair Car	AC 3rd Class

- 4. The other terms and conditions of O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV dated 19.09.2017 shall remain the same.
- 5. This issues with the approval of Competent Authority.

(G.K. Rajnish)

Deputy Secretary to the Government of India

Tel: 2309 4471

To,

All Secretaries of Ministries/ Departments of the Government of India

Copy to:

- 1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
- 2. Union Public Service Commission, New Delhi.
- 3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
- 4. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
- 5. Parliament Library, New Delhi.
- 6. All Union Territory Administrations.
- 7. Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.
- 8. All Attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
- 9. Hindi Section for Hindi version.